

संख्या-11/2021/2260/33-3-2021-38/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज

उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2021

विषय:- राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के पंचायतीराज संस्थाओं को उपयुक्त खाते में हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को जो धनराशि अन्तरित की जा रही है, वह सही बैंक खाते में ही अंतरित हो तथा प्रश्नगत खाते का संचालन अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ही किया जा रहा है (यानी डिजिटल सिग्नेचर का स्वयं प्रयोग किया जा रहा है)। इसके लिए निम्नानुसार अधिकारी जिम्मेदार होंगे:-

क्र. सं.	पंचायतीराज संस्था	नाम	पदनाम
1	जिला पंचायत	श्री प्रवीण कुमार	उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ०प्र०
2	क्षेत्र पंचायत	श्री योगेन्द्र कटियार	उप निदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी, राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग।
3	ग्राम पंचायत	सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी।	-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

इससे सम्बन्धित जो डाटा/अभिलेख फीड किया गया है उसमें यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 के लिखित अनुमोदन/आदेश के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत, 30प्र0।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, 30प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, 30प्र0।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, 30प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।